सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय
की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

"बी" बिंग, छठा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

File No : - Review/23/JH(Dist- Sahibganj)/2024-Coord

दिनांक 15 जुलाई, 2024 को झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा किए गए दौरे की समीक्षा रिपोर्ट।

File No. Review/23/JH(Dist-Sahibganj)/2024-Coord (Computer No. 24573)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:13 pm

आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) के साथ उपस्थित रहे :-

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री एच.आर.मीना	अनुसंधान अधिकारी
2.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीया सदस्य के निजी सचिव
3.	श्री राहुल	अन्वेषक
4.	श्री राहुल यादव	विधिक सलाहकार

दिनांक 15 जुलाई,2024 को झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले मे छात्रावासों का दौरा,अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ बैठक और साहिबगंज जिले के पदाधिकारियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की अन्वेषण और निगरानी करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगा। आयोग को भारत के माननीय राष्ट्रपति को उन सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सभी रिपोर्ट संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों के अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने होते हैं।

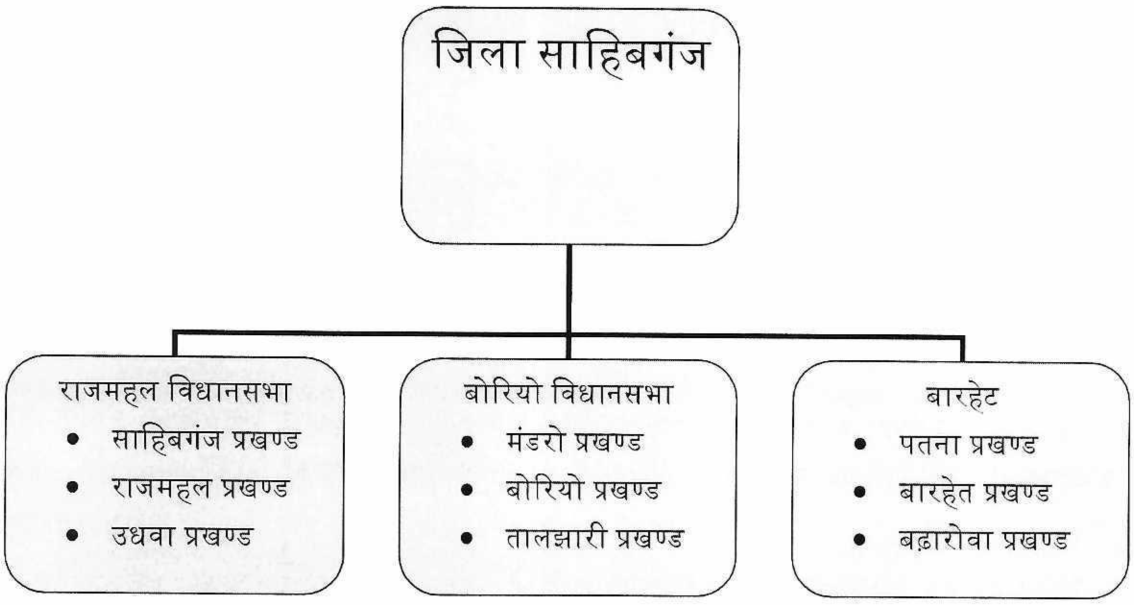

1:अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, पोखरिया, साहिबगंज

सुबह 10.30 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आयोग की टीम के साथ छात्रावास का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्राओं से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/23/JH(Dist-Sahibganj)/2024-Coord (Computer No. 24573)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:13 pm

का दौरा किया | छात्रावास का नाम **अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास** है जबकि यह अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपयोग मे है |

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य ने वहां छात्राओं को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एन.सी.एस.टी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है।

छात्रावास में दो भवन हैं, एक पुराना और एक नया, जिनमें क्रमशः 50 और 30 शय्याओं की क्षमता है; कुल 80 शय्याओं के बावजूद यहाँ लगभग 260 विद्यार्थी (स्नातक, इंटर, और मास्टर डिग्री के) निवास करते हैं, सहायक प्राध्यापक को वार्डन का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है, परंतु छात्राओं ने बताया की वार्डन कभी छात्रावास का निरीक्षण नही करती हैं और उनके लिए कोई आवासीय कक्ष भी नहीं है, छात्रावास में पाकशाला और भोजन कक्ष की व्यवस्था नहीं है, कोई रसोइया नहीं है, कक्ष संख्या 10 में 16 बालिकाएँ एक साथ निवास करती हैं और चार कक्ष बिना शय्याओं के हैं जिनमें एक कक्ष में 30-30 बालिकाएँ रहती हैं, शौचालय और स्नानागार दोनों ही अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं, और छात्रावास की स्वच्छता का कार्य विद्यार्थियों को स्वयं करना पड़ता है।

2:आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास, साहिबगंज

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य ने वहां छात्रों को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एन.सी.एस.टी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए समर्पित है।

सुबह 11.30 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने छात्रावास का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्रों से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास का दौरा किया | 250 शय्याओं की व्यवस्था है, किंतु यहाँ कुल 500 छात्र निवास करते हैं। इस छात्रावास में दो भवन हैं और दोनों भवनों के शौचालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। एक कक्ष में 4 शय्याएँ होते हुए भी 7 से 8 छात्र निवास करने को विवश हैं। भवनों की स्थिति अत्यंत जर्जर है और इन्हें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है|

3:अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ समहरणालय साहिबगंज मे बैठक

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य ने वहां उपस्थित लोगों को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एन.सी.एस.टी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन के निगरानी और मुल्यांकन में आयोग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने एन.सी.एस.टी के अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच करने और एस.टी समुदायों की शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई पर प्रकाश डाला और सुनिश्चित किया कि एस.टी समुदाय के अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसके दौरान कई याचिका आयोग को सौंपी गयी । चर्चा के दौरान, डॉ. आशा लाकड़ा, माननीया सदस्य ने एस.टी समुदाय के सदस्यों और एसटी संघो के प्रतिनिधियों को एन.सी.एस.टी.ग्राम पोर्टल (www.ncstgrams.gov.in) के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एसटी समुदाय के सदस्य अपनी शिकायतें आसानी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) के पास सीधे तौर

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

पर दर्ज कर सकते है। उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई जिसमें सरकारी कार्यालयों द्वारा सरकारी सेवाएँ प्रदान करने में स्थानीय बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में चर्चा के दौरान, अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर मुद्दें की पहचान की गई जो निम्नानुसार है-

1. **विदेशी बंगलादेशियों द्वारा राजनीतिक लाभ एवं भूमि बिक्री :-** गैर-अनुसूचित जनजाति के विस्तापित बंगलादेशियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों से विवाह कर उनके नाम से भूमि खरीद कर दुरुपयोग और अन्य राजनीति लोभों को प्राप्त कर अनुसूचित जनजाति के लोगों अधिकारों का हनन किया जा रहा हैं। बरहेत संथाली उत्तर और बरहेत संथाली दक्षिण में अनुसूचित जनजाति की जमींन को स्थानान्तरण कोर्ट नोटरी के माध्यम से दान पत्र लिखा जाता है | 2-3 कट्ठा भूमि - दानपत्र, एफी डेफिट जैसे पेपर तैयार कर- 5000 रु कर्ज देता है और पेपर बनाता है 50,000 के ब्याज का और ज्यादा बड़ा प्रोपाटी है तो उस घर की बेटी से शादी कर लेते है- यह घटना सहेबगंज जिला के बोरियों प्रखण्ड के लगभग 90% जमीन ऐसा ही लॉन और ब्याज पर है और आदिवासीयों की जमीन को कब्जा करा जा रहा है |
2. **ग्रामीण क्षेत्रो मे सड़कों का अभाव :**खुटाना गाँव मे सड़क नही है ,तिगडा-सुंदर पहाड़ी से रामपुर में सड़क नही, मटिया माको बस्तिया कच्चा रोड है, रक्सो से टिकरी बस्ती पहाड़ 12 कि.मी. कोई रोड नहीं, पंचायत मोटी पहाड़ी पड़ा, राजधन मे सड़क जर्जर हालत मे है और बरहेट प्रखण्ड मे भोगनाडीह, मास्केबू (8 गाँव मे), गोंडा, माकेवादे बोड़ा पंचायत मे रोड खराब है।
3. **केंद्र सरकार आवासीय योजना की सेवा प्रदान करना:** केंद्र सरकार की आवासीय योजना के अंतर्गत दी गयी सुविधाओं का सही तरीके से अनुपालन न करना, महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/23/JH(Dist-Sahibganj)/2024-Coord (Computer No. 24573)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:13 pm

4. **बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों का प्रबंधन:** बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया।
5. **सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति:** सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति को चिंता के विषय के रूप में पहचाना गया है। शिक्षा विभाग को उपस्थिति की नीतियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक उपस्थित हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
6. **अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिलाओं का पंजीकरण और सुरक्षा:** मानव तस्करी के मामले मुख्य (वूमेन ट्रैफिकिंग) रूप से 5 ब्लाक में सबसे ज्यदा है जो है बोरियों , मंडरो , पतना, बारहेत और तालझारी - उदा0- राणा थाना से 8 लड़की गायब है जिसका आज तक कोई पता नही चला है अन्य राज्यों में काम करने वाली अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिला के लिए उचित पंजीकरण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की जाए। प्रशासन को इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य जिलों और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग आवश्यक है।
7. **अनुसूचित जनजाति की भूमि का हनन :-** मंडरो प्रखण्ड में ग्राम पंचायत तेतरिया मौजा में दाग नंबर 399 , रकबा – 5 कट्ठा 92 डिसमिल भूमि जो खतियान देव स्थान, जहेर स्थान है जिला प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान बनाने के लिए DC के माध्यम से घेरा बंदी के लिए राशी के प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई | तेतरिया मौजा में ही गौ – चार की भूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है जबकि गौ – चार भूमि पर यह कार्य S.P.T एक्ट का उल्लघन है | बोरियो प्रखण्ड में दो पंचायत बरहेट संथाली उत्तर और बरहेट संथाली दक्षिण दोनों में अनुसूचित जनजाति की जमींन ख़त्म होने की कगार पर है |
8. **अन्य :** पहाड़िया गाँव (माकेवादे बोड़ा) और कमरडीहा गाँव में श्मशान की अपर्याप्तता है, भोगनाडीह पंचायत में छोटा दलदली पहाड़ मार्ग की मापी नहीं हुई है, ग्राम मुखियाओं को समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, बोरियो प्रखंड में मांझी संथाली उत्तर में एक अस्पताल है जो 6 वर्ष पुराना है जोकि 15 कि.मी. दूर है, वर्षा ऋतु में स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है, कोहे बोरा गाँव के लोगो को राशन उठाने खुटाना गाँव जाना पड़ता है | पीने का पानी और PMAY योजनाओ का लाभ लोगो नही मिल रहा है | देवदान, झीलीपहाड़ी इटाहरी गाँव में लगभग 75 परिवार है इनका लाल कार्ड (राशनकार्ड नहीं है।)

4 . अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए साहिबगंज जिला प्रशासन के उपायुक्त की अनुपस्थित में सक्षम पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 15.07.2024 को डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के द्वारा एक बैठक की गई।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/23/JH(Dist-Sahibganj)/2024-Coord (Computer No. 24573)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:13 pm

आरंभ में जिला पुलिस अधीक्षक ने डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, श्री एच.आर.मीना, अनुसंधान अधिकारी , एन.सी.एस.टी, श्री राहुल, अन्वेषक, श्री राहुल यादव विधिक सलाहकार का स्वागत किया। इसके बाद, विभाग-वार आधार पर चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्य, एनसीएसटी को अपना परिचय दिया। इन परिचयों के बाद आयोग ने साहिबगंज जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का गहन समीक्षा किया। इस समीक्षा का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना था कि जिले में अनुसूचित जनजातियों की वांछित उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा करें। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

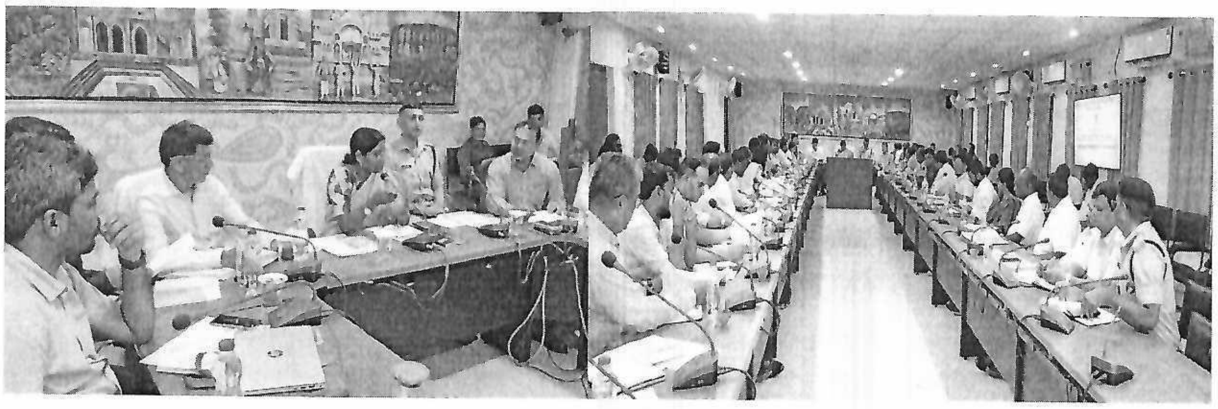

साहिबगंज जिला प्रशासन समीक्षा बैठक में माननीया सदस्य की अध्यक्षता में उपस्थित पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी

अवलोकन और अनुशंषाए -

साहिबगंज जिले के उपायुक्त को 57 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसमें जनसांख्यिकी, साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन आदि जैसे विभिन्न विषय को शामिल किया गया था। जिला प्रशासन ने इस प्रश्नावली के उत्तर प्रदान किए। निम्नलिखित टिप्पणियाँ और अनुशंशाए जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन-साइट तथ्यों और आंकड़ों के साथ-साथ इन प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

1. **शिक्षा विभाग**: सभी संकुल में व्यवस्था ठीक करने, बच्चों के कौशल विकास हेतु वाद-विवाद, Orientation Program कराने, बच्चों का ड्रॉपआउट रोकने (उनसे संबंधित प्रमाणित आंकड़े आयोग को प्रस्तुत करें), खेलकूद का आयोजन कराने, प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, अवस्थित विद्यालय भवन को ठीक कराने एवं नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक 5 कि.मी. की दूरी में 01 उच्च विद्यालय का प्रस्ताव विभाग को भेजने तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कितने प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च विद्यालय संचालित हैं एवं उनमें कार्यरत नियमित/अनियमित शिक्षकों में कितने अनुसूचित जनजाति के शिक्षक हैं से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जाए। प्रत्येक 5 km पर 1 विद्यालय हो नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 से 5 के विधार्थियों को स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करें प्रत्येक प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में टोटल विधार्थियों एसटी कितना है?

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

2. **आपूर्ति विभाग**:

2.1 जन वितरण प्रणाली की कुल 959 दुकान आवंटित है,जिसमे समिति को 546 एवं व्यक्तिगत 413 दुकानं आवंटित किया गया है | जिले में एक भी MO नहीं है सभी प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी ही प्रभार में है | अपने – अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों को लाल कार्ड / अन्त्योदय कार्ड का भी लाभ देने के लिए प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जाए |

2.2 जन वितरण प्रणाली कि दुकानों में राशन का वितरण ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। कई ग्रामों में बिजली-सड़क की सुविधा नहीं है एवं अभी बरसात का समय आने वाला है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से राशन का वितरण करने में कठिनाई होगी। अतः वर्तमान में 03 माह की अवधि तक सभी संबंधित कार्डधारियों को राशन का वितरण ऑफलाइन के माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली के दुकानों में राशन की आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसकी स्थलीय जाँच करें। जिस क्षेत्र में अनलाइन की व्यवस्था नहीं है वहाँ ऑफलाइन किया जाए।

2.3 सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों में अच्छी व्यवस्था बनाने हेतु सूचित करने तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी जन वितरण प्रणाली के दुकानों में राशन वितरण की स्थलीय जाँच एवं ऐसे स्थलों जहाँ राशन उठाव करने हेतु 04 – 05 किलोमीटर से अधिक दुरी तय करना पड़ता है को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव बना कर विभाग को भेजें एंव आयोग को भी सूचित करे और राशन वितरण में होने वाली समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

3. **जिला समाज कल्याण विभाग :** साहेबगंज जिले में पर्यवेक्षक की कुल संख्या 31 और आगनबाडी केन्द्रों की संख्या कुल 1688 जिले के संबधित विभाग द्वारा बताया गया | कुल आंगनबाड़ी केंद्रों में से कितने अपने भवन हैं और कितने किराये पर चल रहे हैं, यह स्पष्ट करते हुए गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, और बच्चों को वितरित पोषाहार की जानकारी दें। ऐसे गांव और बस्तियां चिन्हित करें जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हैं और 30-35 परिवार रहते हैं। जिले में सेविका-सहायिका की संख्या, अनुसूचित जनजाति की सेविका-सहायिका का विवरण, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षाधारी प्रतिभागियों को प्राथमिकता दें और आंगनबाड़ी केंद्रों को Play School के रूप में विकसित करें। कुपोषित बच्चों के लिए प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाएं और Healthy Baby कार्यक्रम आयोजित करें। सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना के तहत शत-प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को अच्छादित कर आयोग को सूचित करें।

4. **कल्याण विभाग : 4.1** कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19454 लाभार्थियों में से 11306 को साइकिल के लिए 4500/- रुपये प्रति विद्यार्थी DBT के माध्यम से भेजे गए हैं, और 2023-24 के लिए साइकिल वितरण जारी है। जिले में कुल 15 छात्रावास हैं, जिनमें से 12 अनुसूचित जनजाति संबंधित हैं। उपरोक्त छात्रावासो और अन्य में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को देखते हुए, समय-समय पर निरीक्षण और सुधार करें और जिनमे छात्रावास की क्षमता से अधिक छात्र एवं छात्राएं रहते है इनकी क्षमताओं में बढोत्तरी की जा सकती है । कल्याण विभाग द्वारा जिले में नए छात्रावास G+5 के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे और आयोग को भी सूचित करें |

4.2 मंडरो प्रखंड के तेतरिया पंचायत, मौजा – तेतरिया में जहेर स्थान/ सावर्णस्थान/ देवस्थल को कब्रिस्तान में परिवर्तित किए जाने के संबंध में किस योजना के अंतर्गत यह कार्य शुरू हुआ यह आयोग को सूचित करें और आदिवासी जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मंडरो अंचल में गोचर भूमि पर मस्जिद का निर्माण क्यों किया जा रहा है आयोग को पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें |

4.3 धुमकुड़िया के संबंध में 2022-23 में 58 और 2023-24 में 18 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। भविष्य की योजनाओं में पानी, शौचालय, रसोई और भंडारण की व्यवस्था शामिल करें ।आवास योजनाओं जैसे बिरसा आवास, अम्बेडकर आवास और प्रधानमंत्री आवास का दोहरा लाभ किसी भी लाभर्थी को ना मिले | दोहरीकरण से बचने के लिए मार्गदर्शिका के अनुसार आवंटन सुनिश्चित करें | बोरियो प्रखंड के 12 गांवों ऐसे है जिनका अंचल क्षेत्र मंडरो पड़ता है इनको बोरियो में समाहित करने के लिए उच्च स्तरीय कमिटी

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

गठन करें | कमरडीहा गांव में कोई श्मशान घाट नहीं है श्मशान घाट नही होने के कारण लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पढ़ता है इसलिए शमशान घाट का निर्माण किया जाये |

5. **पुलिस विभाग : 5.1** पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज से जिले के 17 थानों की जानकारी प्राप्त की, जिसमें 2 महिला थाना, 1 अहतू थाना और 1 एस०टी०/एस०सी० थाना शामिल हैं। उन्हें निर्देश दिया कि हर थाना में एस०टी०/एस०सी० संबंधित मामलों की प्राथमिकता से प्राथमिकी दर्ज की जाए और केस स्थानांतरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5.2 तस्करी और पलायन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए उपाय सुझाए और पलायन करने वालों का पंजीकरण अनिवार्य करें | मानव तस्करी, पशु तस्करी और अवैध परिवहन द्वारा बालू मिट्टी की तस्करी के मामलों पर भी ध्यान दे |
5.3 एस०टी०/एस०सी० के लिए आतंरिक शिकायत सेल का गठन करें और अनुसूचित जनजाति के पुलिस पदाधिकारी को इसमें शामिल करें। पुलिस विभाग ने 8 एस०टी०/एस०सी० केसों की स्थिति की जानकारी दी, जिसमें से 3 केस हल किए जा चुके हैं और 5 अनुसंधान में हैं।
5.4 रांगा थाना में लापता 8 लड़कियों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित कर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें | अंत में, 15 साल पुरानी पुलिस गाड़ियों को कन्डम घोषित कर सकते है और नई गाड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया जाये |
5.5 जिला पुलिस अधीक्षक, महिला एवं पुरुष छात्रावास की सुरक्षा हेतु दो-दो गार्ड उपलब्ध कराये।
6. **कृषि विभाग** :- जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज को अनुदानित ट्रैक्टर, पम्प सेट, बीज, और अन्य योजनाओं का समय पर और योग्य लाभुकों को वितरण सुनिश्चित करें | कृषि चास भूमि की उपलब्धता 79,000 हेक्टेयर बताई गई और 309 किसान मित्र कार्यरत हैं। के०सी०सी० ऋण के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को किसानों के साथ बैठक कर ऋण उपलब्ध कराये|
7. **पथ निर्माण विभाग:** बडा रक्सो पंचायत, मटियो माको, हाट टिकरी बस्ती, और भोगनाडीह पंचायत में कई गांवों में सड़क की कमी है। इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार करें और साथ ही, पहाड़ों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और राजधन गांव में पुल निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया जाए। इन परियोजनाओं के प्राक्कलन विभाग को भेज कर आयोग को सूचित करें।
8. **स्वास्थ्य विभाग** :- बोरियो प्रखण्ड में संथाली उत्तर में एक अस्पताल में एक भी डॉक्टर प्रतिनियुक्त नहीं है जिसके कारण लोगों को 15 कि.मी दूर स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना पड़ता है अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति जल्द से जल्द कराये और करने के बाद आयोग को सूचित करें | सदर अस्पताल, साहेबगंज की ओ.पी.डी. रोस्टरवार बना कर स्थानीय दैनिक अख़बार में प्रकाशित करें जिससे दूर से आने वाले लोगों अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी होगी और कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए माह में दो शिविर का आयोजन करा सकते है
9. **सहकारिता विभाग** :- विभाग किसानो के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द – जल्द दलहन बीज आपूर्ति करना सुनिश्चित करेगें |
10. **वन विभाग : -** पहाड / जंगल में रहने वाले भूमिहीन परिवार / व्यक्ति को 300 Sq Feet भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जा सकते है ताकि पहाड/जंगल में आवासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, अम्बेडकर आवास, बिरसा मुण्डा आवास योजना का लाभ मिल सकें। पहाड़ पर वन भूमि जो समतल हो ऐसी भूमि को जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर, खेल मैदान में परिवर्तित करें और पहाड़ में रहने वाले युवाओं को खेल से जोड़े। वन अधिकार कानून, तथा वन विभाग से आदिवासी समाज को किन-किन योजना से लाभान्वित किया जा सकता हैं, के संबंध में जानकारी आयोग को प्रदान करें | योजनाबद्ध तरीके से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु मुहिम चलाना सुनिश्चित करें।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

11. **श्रम नियोजन :-** जिले में कुल 37932 श्रमिक पंजीकृत है आयोग को कुल पंजीकृत श्रमिक में अनुसूचित जनजाति के कितना श्रमिक, उसमें महिला/पुरुष कितना पंजीकृत है। साथ ही संगठित / असंगठित, कुशल / अर्द्धकुशल श्रमिक के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये। साथ ही नगर निकाय के श्रमिकों को संगठित ग्रुप में पंजीकृत करने तथा प्रत्येक प्रखण्ड़ में शिविर लगाकर श्रमिकों को कोटिवार पंजीकृत करना सुनिश्चित करेंगे। **(अनुपालन- श्रम अधीक्षक, साहिबगंज)**
12. **मंडल काराग्रह :-** मंडल कारागृह में कैदियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
13. **मनरेगा :-** जॉब कार्ड, बुर्जुग, महिला, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति की महिला, गर्भवती महिला का पृथक-पृथक आंकडा आयोग को उपलब्ध कराये। जिले में संचालित योजना यथा आवास निर्माण कार्य, तालाब निर्माण, नल-जल योजना, पार्ट कूप निर्माण का प्रखण्डवार विवरणी आयोग को उपलब्ध कराये ।
14. जिला स्तर पर एक **आतंरिक शिकायत सेल (Internal Grievance Cell)** गठन करते हुए अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी / सहायक की प्रतिनियुक्ति सेल में सुनिश्चित करें, और छोटे-मोटे शिकायत जिला स्तर पर ही निष्पादित किया जा सकें, ऐसे मामले आयोग के पास न पहुँचे, संज्ञान में न आयें, ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध डेटा का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा साहिबगंज जिला प्रशासन से सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

आशा लकड़ा
26/09/2024

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/23/JH(Dist-Sahibganj)/2024-Coord (Computer No. 24573)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:13 pm